बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–34/2025(स्वा0) .... / पटना, दिनांकः–..

सिविल सर्जन, नालन्दा के पत्राक–498 दिनांक–20 02 2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ0 शिव किशोर, चिकित्सा पदाधिकारी, (सर्जन) सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा दिनांक–30.11.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य पर अनुपस्थित है। डॉ0 किशोर के विरूद्ध विभागीय सकल्प सं0–758(9) दिनाक–10 07 2025 द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. सचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। डॉ0 किशोर से विभागीय पत्राक–1073(9) दिनाक–22.09.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी।

3. डॉ0 किशोर द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन मे अंकित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक–29 11 2022 को सिविल सर्जन, नालन्दा को रीढ में असहनीय दर्द के सबंध में सूचित किया गया। उनक द्वारा दिनाक–30.11 2022 को चिकित्सीय साक्ष्य के साथ अवकाश हेतु आवेदन समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, नालन्दा द्वारा उनके आवेदन को स्वीकृत करने से संबधित उन्हें कोई सूचना नहीं दी गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान सिविल सर्जन, नालन्दा का गवाही नही लिया गया। वे वर्तमान मे जी0एस0एल0 मेडिकल कॉलेज, राजमुंदरी में MCH में अध्ययनरत हैं।

4. विभागीय पत्राक–1161 दिनांक–31.10 2025 एवं पत्रांक–1196(9) दिनांक–24 11.2025 के आलोक मे सिविल सर्जन, नालन्दा के पत्राक–5684 दिनांक–26.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डॉ0 किशोर द्वारा दिनांक–29.11.2022 एवं 09.02 2023 को अवकाश हेतु आवेदन समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, नालन्दा को बिना सूचित किए वे GSL मेडिकल कॉलेज, राजमुंदरी, आंध्रप्रदेश में MCH में अध्ययनरत है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 किशोर के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके द्वारा दिनांक–29.11.2022 एवं 26.01.2023 को समर्पित अभ्यावेदन में अंकित तथ्यो के समर्थन में चिकित्सीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। उक्त अभ्यावेदन को संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकार का स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित भी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उनके अवकाश आवेदन की वैधानिक मान्यता स्थापित नहीं होती है। उनके द्वारा आंध्रप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय मे MCH में अध्ययन करने हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं किया गया है।

6. डॉ0 किशोर के विरूद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक–30.11.2022 से 30.06.2025 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहने के आरोप में संचयी प्रभाव के साथ 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने एवं अनुपस्थिति अवधि को किसी भी प्रयोजन हेतु गणना नहीं करने का विनिश्चय किया गया है। यह शास्ति डॉ0 किशोर द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में योगदान करने के उपरान्त प्रभावी होगी।

15/06/2026

7. विभागीय पत्रांक–153(9) दिनांक–11.02.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–402 दिनांक–11.05.2026 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

8. अतएव डॉ0 शिव किशोर, चिकित्सा पदाधिकारी (सर्जन) सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा के विरूद्ध दिनांक–30.11.2022 से 30.06.2025 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सचयी प्रभाव से 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है। साथ ही अनुपस्थिति अवधि की गणना किसी भी प्रयोजन हेतु नही की जायेगी। यह शास्ति डा0 किशोर द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् विभाग में योगदान करने के उपरात प्रभावी होगी।

9. उपर्युक्त मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–9/आ0–01–34/2025(स्वा0) 605(9) / **पटना, दिनांक:–** 15.6.26

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, (ले एव ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–डॉ0 शिव किशोर, चिकित्सा पदाधिकारी (सर्जन) सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/06/26

सरकार के अवर सचिव।